ई-मेल/स्पीड पोस्ट

संख्या-2/2024/2029/दो-5-2024-02-5001/2/2024-19/5(3)2007टी0सी0-2

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त** मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त** जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 24.10.2024

विषयः- प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहित करने व इसमें अभिवृद्वि किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट व मण्डलायुक्त की भूमिका को Performance Appraisal Report में अंकित किया जाना।

महोदय,

प्रदेश सरकार राज्य में बडे पैमाने पर औद्योगिक निवेश किये जाने व रोजगार सृजित किये जाने पर निरंतर प्रयासरत है तथा इसी दिशा में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के साथ-साथ 25 सेक्टोल पालिसी लांच की गई है। इन नीतियों में आकर्षक सुविधाएं उद्योगों के लिए उपलब्ध करायी जा रही हैं।

2- उक्त निवेश मुख्यत: जनपदों में ही होता है। शासन स्तर के विभागों के प्रयास के अलावा जनपदों व मण्डलों के स्तर से भी त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है ताकि प्रदेश में निवेश की गति को और बढाया जा सके। **"निवेश मित्र पोर्टल"** भी इसी क्रम में स्थापित है, जिसमें सभी संबन्धित विभागों के विषय में सूचनाएँ, शासनादेश, प्रोसेस फ़्लो उनके नियमावलियों व दिशा-निर्देश सहित प्रदान करता है| पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम पर आधारित ऑनलाइन आवेदन, उसकी स्थिति जानना तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करने जैसी सुविधाएं प्रदान कर निवेश को सुगम बनाना है। निवेश मित्र पोर्टल तमाम प्रकार की सूचनाओं/अनापत्ति प्रमाणपत्रों/अनुज्ञप्तियों/स्वीकृतियों पर कार्य करते हुए सिंगल पॉइंट (ऑनलाइन) इंटरफ़ेस तथा एक समयबद्ध क्लीयरेंस प्रणाली प्रदान करता है।

निवेश की दृष्टि से जनपदीय/ मण्डलीय क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट/मण्डलायुक्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण् है। यह भूमिका मात्र भूमि की उपलब्धता (land availability), भू-उपयोग परिवर्तन, 12.5 एकड से अधिक भूमि क्रय की अनुमति, regulatory permissions आदि तक सीमित न रहे वरन् निवेश के परिप्रेक्ष्य में इसको और व्यापक रूप दिया जाये, इसकी महती आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट व मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त अपने क्षेत्रों में बडे औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि के कार्यों को निकट से पर्यवेक्षण करते हैं और इनके सम्पर्क में भी रहते हैं। इस दृष्टि से भी ये अधिकारीगण proactive रीति से अपने जनपद में/ मण्डल में निवेश (investment) को प्रोत्साहित, प्रमोट तथा आकर्षित करने की स्थिति में रहते हैं।

3- अवगत ही हैं कि DoPT, GOI, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई, 2019 द्वारा The All India Services (Performance Appraisal Report) (Amendment) Rules, 2019 का प्रख्यापन/गजट प्रकाशन किया गया है, जिसमें reporting authority, reviewing authority व accepting authority की भूमिका रेखांकित की गई है, जिसमें निम्न प्रावधान भी हैं:-

4.1 Section III requires the **reporting authority** to comment on Section II as filled out by the officer reported upon, and specifically state whether he/she agrees with the responses relating to the accomplishments. In case of disagreement the reporting authority should highlight the specific portions with which he/she is unable to agree and the reasons for such disagreement.

4.2 This Section then requires the reporting authority to comment on the **skill upgradation** needs as identified by the officer.

5.1 This Section is to be filled up by the **reviewing authority**. **He/she is required to indicate if he/she agrees with the assessments made by the reporting officer.** In case of disagreement, he/she may record his/her own assessment against **the work output or any of the attributes** in the column specifically provided for the purpose. In case of agreement, he/she need not fill in the column meant for him/her in the attributes/work output tables. Finally, the reviewing authority is required to record an overall grade in the scale of 1-10.

6.1 This Section is to be filled by the **accepting authority**. He/she is required to indicate if he/she agrees with the assessments made by the reporting authority/reviewing authorities. In case of difference of opinion, he/she is required to give details and reasons for the same in the column specifically provided for the purpose in the table in Section V.

4- उक्त प्रावधानों के साथ ही Section II – Self Appraisal से संबंधित है, जिसमें Brief description of duties: (Objectives of the position you hold and the tasks you are required to perform)/ 2.Annual work plan and achievement: Tasks to be performed/ 3. During the period under report, do you believe that you have made any exceptional contribution, e.g. successful completion of an extraordinarily challenging task or major systemic improvement (resulting in significant benefits to the public and/or reduction in time and costs) आदि का प्रारूप भी है।

5- अत: उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहित/प्रमोट किये जाने व जिला मजिस्ट्रेट / मण्डलायुक्त की जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए **निम्न निर्णय लिया गया है:-**

'' जिला मजिस्ट्रेट व मण्डलायुक्त अपने वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिर्पोट (APAR-Performance Appraisal Report) में Self appraisal लिखते हुए यह भी अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा विगत वर्ष में उनके प्रयास से वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि का निवेश संभव हुआ? इसके साथ-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

साथ यह अंकन भी किया जाएगा कि उक्त निवेश के माध्यम से रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ है? ''

6- उक्त के अतिरिक्त एक स्वस्थ / पारदर्शी औद्योगिक निवेश को प्रमोट किये जाने हेतु राज्य की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) को भी मजबूती दी जानी आवश्यक है। विगत वर्षों में Credit : Deposit Ratio में अपेक्षित बढोत्तरी हुई है, परंतु इसे और अधिक बढाये जाने की आवश्यकता है।

अवगत ही हैं कि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु पर्याप्त ऋण की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। अत: ऐसी स्थिति में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाना भी जिलाधिकारियों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में से है। अत: C:D ratio में वृद्धि हेतु सतत् प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

विभिन्न विकास गतिविधियों (various developmental activities) को लागू करने में गतिविधियों के समन्वय के लिए बैंकरों (bankers) के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों/विभागों के लिए जिला स्तर पर एक सामान्य मंच के रूप में District Consultative Committee (DCC) का गठन है, जिसमें जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राय: इन बैठकों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (MSME-DI) के प्रतिनिधि भी आमंत्रित रहते हैं। इसके अतिरिक्त लीड बैंक योजना की प्रभावशीलता जिला कलेक्टरों की गतिशीलता (dynamism) पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार District Level Review Committee (DLRC) की Meetings में भी जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिला क्रेडिट प्लान का समुचित क्रियान्यवन भी जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा RBI से परामर्श करते हुए प्रत्येक जनपद के वर्ष के प्रारम्भ में जो Credit-Deposit Ratio है, उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट/ मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

वर्ष के अंत में **जिला मजिस्ट्रेट अपने जनपद एवं मण्डलायुक्त अपने मण्डल के संदर्भ में** Credit-Deposit Ratio में हुई बढोत्तरी/ परिवर्तन आदि की सूचना का विश्लेषण करते हुए यह सूचना अपने वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिर्पोट **(APAR- Performance Appraisal Report)** में स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।

उक्तानुसार **प्रस्तर-5 व प्रस्तर-6** पर अंकित पैरामीटर्स संबंधित जिला मजिस्ट्रेट व मण्डलायुक्त द्वारा सबमिट किये गये Self appraisal पर संबंधित Reporting Authority, Reviewing Authority अपने मंतव्य में उक्त बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

7- कृपया उपरोक्त निर्देशों **(प्रस्तर-5, 6)** का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. **समस्त** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)
5. नियुक्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
6. कम्प्यूटर आपरेटर, नियुक्ति विभाग उ0प्र0शासन। (उक्त शासनादेश विभागीय पोर्टल/आनलाइन करने हेतु)
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

संख्या-2029/दो-5-2024-02-5001/2/2024-19/5(3)2007टी0सी0-2

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त** मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त** जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 24.10.2024

विषयः- प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहित करने व इसमें अभिवृद्वि किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट व मण्डलायुक्त की भूमिका को Performance Appraisal Report में अंकित किया जाना।

महोदय,

प्रदेश सरकार राज्य में बडे पैमाने पर औद्योगिक निवेश किये जाने व रोजगार सृजित किये जाने पर निरंतर प्रयासरत है तथा इसी दिशा में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के साथ-साथ 25 सेक्टोल पालिसी लांच की गई है। इन नीतियों में आकर्षक सुविधाएं उद्योगों के लिए उपलब्ध करायी जा रही हैं।

2- उक्त निवेश मुख्यत: जनपदों में ही होता है। शासन स्तर के विभागों के प्रयास के अलावा जनपदों व मण्डलों के स्तर से भी त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है ताकि प्रदेश में निवेश की गति को और बढाया जा सके। **"निवेश मित्र पोर्टल"** भी इसी क्रम में स्थापित है, जिसमें सभी संबन्धित विभागों के विषय में सूचनाएँ, शासनादेश, प्रोसेस फ़्लो उनके नियमावलियों व दिशा-निर्देश सहित प्रदान करता है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम पर आधारित ऑनलाइन आवेदन, उसकी स्थिति जानना तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करने जैसी सुविधाएं प्रदान कर निवेश को सुगम बनाना है। निवेश मित्र पोर्टल तमाम प्रकार की सूचनाओं/अनापति प्रमाणपत्रों/अनुज्ञप्तियों/स्वीकृतियों पर कार्य करते हुए सिंगल पॉइंट (ऑनलाइन) इंटरफ़ेस तथा एक समयबद्ध क्लीयरेंस प्रणाली प्रदान करता है।

निवेश की दृष्टि से जनपदीय/ मण्डलीय क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट/मण्डलायुक्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भूमिका मात्र भूमि की उपलब्धता (land availability), भू-उपयोग परिवर्तन, 12.5 एकड से अधिक भूमि क्रय की अनुमति, regulatory permissions आदि तक सीमित न रहे वरन् निवेश के परिप्रेक्ष्य में इसको और व्यापक रूप दिया जाये, इसकी महती आवश्यकता है।

जनपद स्तर पर जिला मजिस्टेट व मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त अपने क्षेत्रों में बडे औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि के कार्यों को निकट से पर्यवेक्षण करते हैं और इनके सम्पर्क में भी रहते हैं।

इस दृष्टि से भी ये अधिकारीगण proactive रीति से अपने जनपद में/ मण्डल में निवेश (investment) को प्रोत्साहित, प्रमोट तथा आकर्षित करने की स्थिति में रहते हैं।

3- अवगत ही हैं कि DoPT, GOI, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई, 2019 द्वारा The All India Services (Performance Appraisal Report) (Amendment) Rules, 2019 का प्रख्यापन/गजट प्रकाशन किया गया है, जिसमें reporting authority, reviewing authority व accepting authority की भूमिका रेखांकित की गई है, जिसमें निम्न प्रावधान भी हैं:-

4.1 Section III requires the **reporting authority** to comment on Section II as filled out by the officer reported upon, and specifically state whether he/she agrees with the responses relating to the accomplishments. In case of disagreement the reporting authority should highlight the specific portions with which he/she is unable to agree and the reasons for such disagreement.

4.2 This Section then requires the reporting authority to comment on the **skill upgradation** needs as identified by the officer.

5.1 This Section is to be filled up by the **reviewing authority. He/she is required to indicate if he/she agrees with the assessments made by the reporting officer.** In case of disagreement, he/she may record his/her own assessment against **the work output or any of the attributes** in the column specifically provided for the purpose. In case of agreement, he/she need not fill in the column meant for him/her in the attributes/work output tables. Finally, the reviewing authority is required to record an overall grade in the scale of 1-10.

6.1 This Section is to be filled by the **accepting authority**. He/she is required to indicate if he/she agrees with the assessments made by the reporting authority/reviewing authorities. In case of difference of opinion, he/she is required to give details and reasons for the same in the column specifically provided for the purpose in the table in Section V.

4- उक्त प्रावधानों के साथ ही Section II – Self Appraisal से संबंधित है, जिसमें Brief description of duties: (Objectives of the position you hold and the tasks you are required to perform)/ 2.Annual work plan and achievement: Tasks to be performed/ 3. During the period under report, do you believe that you have made any exceptional contribution, e.g. successful completion of an extraordinarily challenging task or major systemic improvement (resulting in significant benefits to the public and/or reduction in time and costs) आदि का प्रारूप भी है।

5- अत: उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहित/प्रमोट किये जाने व जिला मजिस्टेट/ मण्डलायुक्त की जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए **निम्न निर्णय लिया गया है:-**

" जिला मजिस्टेट व मण्डलायुक्त अपने वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिर्पोट (APAR-Performance Appraisal Report) में Self appraisal लिखते हुए यह भी अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा विगत वर्ष में उनके प्रयास से वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि का निवेश संभव हुआ? इसके साथ-साथ यह अंकन भी किया जाएगा कि उक्त निवेश के माध्यम से रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ है? "

6- उक्त के अतिरिक्त एक स्वस्थ / पारदर्शी औद्योगिक निवेश को प्रमोट किये जाने हेतु राज्य की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) को भी मजबूती दी जानी आवश्यक है। विगत वर्षों में Credit : Deposit Ratio में अपेक्षित बढोत्तरी हुई है, परंतु इसे और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

अवगत ही हैं कि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु पर्याप्त ऋण की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। अत: ऐसी स्थिति में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाना भी जिलाधिकारियों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में से है। अत: C:D ratio में वृद्धि हेतु सतत् प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

विभिन्न विकास गतिविधियों (various developmental activities) को लागू करने में गतिविधियों के समन्वय के लिए बैंकरों (bankers) के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों/विभागों के लिए जिला स्तर पर एक सामान्य मंच के रूप में District Consultative Committee (DCC) का गठन है, जिसमें जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राय: इन बैठकों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (MSME-DI) के प्रतिनिधि भी आमंत्रित रहते हैं। इसके अतिरिक्त लीड बैंक योजना की प्रभावशीलता जिला कलेक्टरों की गतिशीलता (dynamism) पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार District Level Review Committee (DLRC) की Meetings में भी जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिला क्रेडिट प्लान का समुचित क्रियान्यवन भी जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा RBI से परामर्श करते हुए प्रत्येक जनपद के वर्ष के प्रारम्भ में जो Credit-Deposit Ratio है, उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट/ मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

वर्ष के अंत में **जिला मजिस्ट्रेट अपने जनपद एवं मण्डलायुक्त अपने मण्डल के संदर्भ में** Credit-Deposit Ratio में हुई बढोत्तरी/ परिवर्तन आदि की सूचना का विश्लेषण करते हुए यह सूचना अपने वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिर्पोट **(APAR- Performance Appraisal Report)** में स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।

उक्तानुसार **प्रस्तर-5 व प्रस्तर-6** पर अंकित पैरामीटर्स संबंधित जिला मजिस्ट्रेट व मण्डलायुक्त द्वारा सबमिट किये गये Self appraisal पर संबंधित Reporting Authority, Reviewing Authority अपने मंतव्य में उक्त बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

7- कृपया उपरोक्त निर्देशों **(प्रस्तर-5, 6)** का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj 24.10.24

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3. **समस्त** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)
5. नियुक्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
6. कम्प्यूटर आपरेटर, नियुक्ति विभाग उ0प्र0शासन। (उक्त शासनादेश विभागीय पोर्टल/आनलाइन करने हेतु)
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।